

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला-जयपुर

पीठारीन अधिकारी: रामकुमार वर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र संख्या: 1/2021
उत्तमान: मानसिंह बनाम राज्य सरकार
निर्णय दिनांक 22/07/2021

निर्णय

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के संबध में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक 86/23/10/2013 समपरिवर्तन आदेश का नामान्तरण 1738 दिनांक 28/11/2013 एच तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत बिन्दुवार जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाकर ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 49/3 के स्थान पर 49/1 व 49/4 के स्थान पर 49/2 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम व खसरा नम्बर 49/1 के स्थान पर 49/3 व 49/2 के स्थान पर 49/4 प्रार्थी मानसिंह के नाम दर्ज दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जाता है:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	कानोता	49/1, 49/2 49/3, 49/4	जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम 49/3, रकबा 54.02 बीघा 49/4 रकबा 1.01 बीघा मानसिंह के नाम 49/1 रकबा 54.02 बीघा 49/2 रकबा 0.12	जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम 49/1 रकबा 54.02 बीघा (13.6819 है0) 49/2 रकबा 1.01 बीघा (0.2655 है0) तथा खातेदार मानसिंह के नाम खसरा नम्बर 49/3 रकबा 43.12 बीघा (11.0264 है0) 49/4 रकबा 0.12 बीघा (0.1517 है0) किया जावे।

Kumar
(रामकुमार वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी बस्सी

जिला जयपुर

दिनांक:- 22/07/2021

क्रमांक/कोर्ट/2021/1

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु है:-

1. तहसीलदार बस्सी को भेजकर लेख हे कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी मानसिंह पुत्र मोहनसिंह ग्राम कानोता को सूचनार्थ।

Kumar
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

